रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042023-245264
CG-DL-E-19042023-245264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945
No. 244] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 306(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, उच्च श्रेणी लिपिक, साधारण केंद्रीय सेवा समूह, 'ग' पद, भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, उच्च श्रेणी लिपिक, साधारण केंद्रीय सेवा समूह, श्रेणी 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद, भर्ती नियम, 2023 है।

https://www.govtstaff.com

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- इस संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए निर्देशानुसार होंगे।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य नियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन-मैट्रिक में वेतन-स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिओं के लिए आयु सीमा**
1	2	3	4	5	6
उच्च श्रेणी लिपिक	315* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-4 (रुपए 25500-81100/-)	चयन पद	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले एवं चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

https://www.govtstaff.com

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक डिग्री या समतुल्य।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	(क) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ग) 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा प्रवेश (एलडीसीई) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (1) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा प्रदान की हो। **टिप्पण 1:** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	**विभागीय प्रोन्नति समिति :-** 1. निदेशक या संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक - सदस्य; तथा 3. सहायक निदेशक श्रेणी-I/ श्रेणी-II (प्रशासन) - सदस्य **विभागीय पुष्टि समिति :-** 1. निदेशक या संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक - सदस्य; तथा 3. सहायक निदेशक श्रेणी-I/ श्रेणी-II (प्रशासन) - सदस्य	लागू नहीं

टिप्पण 2: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा प्रवेश (एलडीसीई):** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है।		

[फा. सं. ए-12035/2/2023-ए(पीएंडटी)]

पंकज कुमार झा, उप निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(**Office of the Development Commissioner)**

(MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2023

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Upper Division Clerk, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organization, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (i) These rules may be called the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organization, Upper Division Clerk, General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial Post, Recruitment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.-** The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

https://www.govtstaff.com

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether Selection or Non-Selection post**	**Age-limit for direct recruitment**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk.	*315(2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100/-).	Not applicable.	Between 18 and 27 years. Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Bachelor's Degree or equivalent from a recognized University or Institution.	Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) 50% by direct recruitment; (ii) 40% by promotion failing which by deputation; and (iii) 10% by Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk in the Level-2 as per 7th CPC with eight years of regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Director or Joint Director – Chairman; 2. Deputy Director – Member; and 3. Assistant Director Grade I or Assistant Director Grade-II (Administration) – Member.	Not applicable.

not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of Central Government/ State Government/ UTs: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with eight years service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be "Not exceeding 56 years" as on the closing date of receipt of applications. **Limited Departmental Competitive Examination (LDCE):** Lower Division Clerk of MSME-DO in the Level-2 as per 7th CPC with five years of regular service in the grade.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of :** 1. Director or Joint Director – Chairman; 2. Deputy Director – Member; and 3. Assistant Director Grade I or Assistant Director Grade-II (Administration) – Member.	

[F. No. A-12035/02/2023-A(P&T)]

PANKAJ KUMAR JHA, Dy. Director (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

https://www.govtstaff.com